

# वायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिलाबून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-108 / 2017

दायर दिनांक: 05.07.2017

GCMS NO:- 2017/00166

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

कालीबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा हाल पत्नी गिरिराज निवासी कालानला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी

-वादिया

## बनाम

1. महावीर पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. कैलाशी पत्नी मोतीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. कमलेश पुत्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवाँ हाल पत्नी कालू निवासी भोल मीणा की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. छोटी पुत्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवाँ हाल पत्नी शम्भूलाल निवासी भोल मीणा की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. नारायण पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
7. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

निर्णय दिनांक 22.10.2021

वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.09.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवाँ ने निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये -

क0सं0	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1.	काली पुत्री मोती कोम मीणा सा0 देह खातेदार	124	2-16
2.	महावीर वल्द मोती कैलाशी बेवा मोती कमलेश छोटी पुत्रियाँ मोती हि. 226/507 हि. ब. नारायण वल्द मोती गोपी हि. 281/507 कोम मीणा सा. डेह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा नैनवाँ मुविक नारायण का हिस्सा	124/1 125 126 127 128 209 210 212 214 215 217	0-01 5-12 0-03 0-04 3-13 1-09 0-10 1-12 4-07 0 9

		218	0-19
		219	0-03
		373	0-05
		कुल किता 14	कुल रकबा 25-07 बीघा
3.	काली पुत्री मोती कोम मीणा सा. देह खातेदार	74	1-19
		कुल किता 1	कुल रकबा 1-19 बीघा
4.	महावीर आ० मोती मु. कैलाशी पत्नि स्व. मोती, कमलेश, छोटी दुख्तर मोती कोम मीणा हि.ब. सा. देह खातेदार	74 / 1 80	2-06 5-11
		कुल किता 2	कुल रकबा 7-17 बीघा

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट देई में पेश हुई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम कालानला प०म० मरां तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 93 से खसरा संख्या 74 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या 80 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुलकिता 2 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा एवं जमाबंदी ग्राम कालानला प०म० मरां सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 94 के खसरा संख्या 124 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 125 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 126 रकबा 3 बिस्वा, ख०न० 127 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 128 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, ख०न० 209 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख०न० 210 रकबा 10 बिस्वा, ख०न० 212 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख०न० 214 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख०न० 215 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, ख०न० 217 रकबा 19 बिस्वा, ख०न० 218 रकबा 19 बिस्वा, ख०न० 219 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 373 रकबा 5 बिस्वा कुलकिता 14 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र०सं०	पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1.	काली पुत्री मोती कोम मीणा सा० देह खातेदार	124	2-16
2.	महावीर वल्द मोती कैलाशी बेवा मोती कमलेश छोटी पुत्रियाँ मोती हि. 226/507 हि. ब. नारायण वल्द मोती गोपी हि. 281/507 कोम मीणा सा. डेह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा नैनवां मुविक नारायण का हिस्सा	124 / 1 125 126 127 128 209 210 212 214 215 217 218	0-01 5-12 0-03 0-04 3-13 1-09 0-10 1-12 4-07 5-10 0-19 0-19

नैनवां (बून्दी)  
Page 410

	219	0-03
	373	0-05
	कुल किता 14	कुल रकबा 25-07 बीघा
3.	काली पुत्री मोती कोम मीणा सा. देह खातेदार	74
	कुल किता 1	1-19 कुल रकबा 1-19 बीघा
4.	महावीर आ0 मोती मु. कैलाशी पत्नि स्व. मोती, कमलेश, छोटी दुख्तर मोती कोम मीणा हि.व. सा. देह खातेदार	74/1 80
	कुल किता 2	2-06 5-11 कुल रकबा 7-17 बीघा

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न-भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौकें पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा संभलाये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कुल 14  
उपरोक्त अधिकारी  
नैनवां (घुन्डी)